सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1899
मंगलवार, 01 अगस्त, 2023/श्रावण 10, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

केन्द्रीय कृषि सहयोग संबंधी एकीकृत योजना का कार्यान्वयन

†1899. श्री डॉ जयंत कुमार राय:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भोला सिंह:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार केन्द्रीय कृषि सहयोग संबंधी एकीकृत योजना (सीएसआईएसएसी) का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत स्वीकृत निधि और की गई प्रगति का घटक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): जी हाँ, मान्यवर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से, भारत सरकार द्वारा कृषि सहकारिता पर एकीकृत केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएसआईएसएसी) लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च 2023 तक कार्यान्वित की गई थी।

सीएसआईएसएसी योजना में निम्नलिखित घटक थे: -

(i) सहकारी समितियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) कार्यक्रमों को सहायता - इस योजना के तहत एनसीडीसी के माध्यम से सहकारी समितियों को सब्सिडी।
(ii) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण को सहायता - भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से कार्यान्वित।
(iii) बहु राज्य सहकारी समितियों को सहायता।

(ख): कृषि सहकारिता पर एकीकृत केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएसआईएसएसी) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, इसलिए योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नामित केंद्र सरकार की एजेंसियों, अर्थात् राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) और बहु राज्य संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

योजना के तहत पिछले 3 वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) में स्वीकृत की गई कुल वित्तीय सहायता (घटकवार) का विवरण निम्न है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	**क्रियान्वयन एजेंसी**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1.	एनसीडीसी	311.39	304.46	662.87
2.	एनसीसीटी	46.40	23.68	0.00
3.	एनसीयूआई	14.16	13.37	0.00
4.	बहु राज्य सहकारी संघ	1.70	0.16	0.00
	कुल	**373.65**	**341.67**	**662.87**

इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने देश भर में सहकारी समितियों को सब्सिडी/अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की, जबकि राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने अनुदान का उपयोग सहकारी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए किया।

साथ ही, पिछले तीन वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के दौरान एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण **अनुबंध -1** में संलग्न है।

(ग)योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) / सेंट्रल नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉडल के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी को वित्तीय सहायता वितरित की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् एनसीडीसी भी केवल पीएफएमएस मॉडल के माध्यम से लाभार्थी सहकारी समितियों को योजना के तहत अनुदान/सब्सिडी वितरित करती है।

*****

अनुबंध -1

एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
	सब्सिडी स्वीकृत	सब्सिडी वितरित	सब्सिडी स्वीकृत	सब्सिडी वितरित	सब्सिडी स्वीकृत	सब्सिडी वितरित
आंध्र प्रदेश	-	28.93	-	2.57	-	46.79
अरुणाचल प्रदेश	-	1.44	-	-	-	-
असम	-	1.55	-	0.92	-	10.96
बिहार	-	22.32	-	56.86	-	49.87
छत्तीसगढ	-	-	-	0.37	-	0.22
गुजरात	0.18	5.85	-	0.30	-	-
हरयाणा	7.89	0.09	-	2.11	-	2.97
हिमाचल प्रदेश	4.80	6.45	-	2.01	-	1.66
झारखंड	-	0.70	-	0.92	-	3.07
कर्नाटक	-	0.34	-	-	-	-
केरल	10.13	7.98	-	8.65	-	26.44
मध्य प्रदेश	0.35	6.30	-	5.30	-	6.40
महाराष्ट्र	1.00	55.29	-	1.91	-	2.48
मणिपुर	40.67	-	-	-	-	7.91
मेघालय	-	13.46	-	-	-	-
मिजोरम	1.94	0.61	-	0.23	-	0.92
नागालैंड	-	1.79	-	-	-	0.20
उड़ीसा	0.29	0.16	-	0.13	-	-
राजस्थान	0.04	25.72	-	7.17	-	2.53
तमिलनाडु	-	4.60	-	3.76	-	2.86
तेलंगाना	1.07	54.77	-	101.38	-	211.82
त्रिपुरा	-	2.01	-	0.90	-	3.45
उत्तराखंड	-	17.12	-	6.83	-	8.20
उत्तर प्रदेश	12.19	8.80	-	11.46	-	7.46
पश्चिम बंगाल	-	36.83	-	43.56	-	60.97
अन्य	0.31	0.31	-	0.68	-	0.42
कुल	**80.85**	**303.42**	**0.00**	**258.03**	**0.00**	**457.61**